10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

विलोपित

436

1

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र. आर.   /2017 छतरपुर R 391-I-17

श्री .... द्वारा आज दि 31-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 31-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

31-1-2017

मनमोहन रिछारिया पुत्र स्व. ठाकुर प्रसाद रिछारिया, निवासी नया गांव, तहसील नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

--- प्रार्थी

विरूद्ध

1. अशोक कुमार पाराशर पुत्र श्री जागेश्वर प्रसाद पाराशर निवासी नौगॉव, तहसील नौगाँव, जिला छतरपुर (म.प्र.)

2. म. प्र. शासन

--- प्रतिप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक तहसील नौगांव जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 04.12.2016 पारित प्रकरण क्रमांक 1/अ-12/16-17 अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी की निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

(1) यह कि, अधीनस्थ कार्यालय राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई सीमांकन कार्यवाही संहिता में उपबंधित धारा 129 में विहित विधिक प्रक्रिया के विपरीत अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि, प्रार्थी ने सीमांकन कार्यवाही प्रार्थी एवं अन्य मेडिया कृषक की अनुपस्थिति में बिना सूचना दिये दिनांक 04.12.2016 को ग्राम नौगॉव की भूमि सर्वे क्रमांक 2521, 2527, 2528 का सीमांकन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-391-एक/2017 जिला छतरपुर मनमोहन विरूद्ध अशोक व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक नौगांव के प्रकरण क्रमांक 01/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 04-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 31.01.19 (आर.के. जैन) सदस्य	